न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/5610/2000/भीलवाडा

लादू पुत्र जुवारा खटीक निवासी फूलिया कलां तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1 हजारी पुत्र धन्ना तेली
2 उगमा पुत्र कल्याण तेली
3 लादू पुत्र कल्याण तेली (फौत) जरिये वारिसान
3/1 भूरीदेवी बेवा लादू
3/2 भैरूलाल पुत्र लादू सभी जाति तेली निवासी फूलिया कलां
4 मांगी बेवा कल्याण तेली (फौत नाम तर्क) सभी निवासी फूलिया कलां तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
5 राजस्थान सरकार

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री योगेन्द्रसिंह वकील अपीलार्थी
श्री वी.पी.सिंह राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः..5.9.18

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 29/2000 में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हें कि वादी अपीलार्थी ने एक वाद विभाजन एवं इन्द्राज दुरूस्ती तथा घोषणा का उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फूलिया कंला स्थित आराजी खसरा नम्बर 1016,1013, 1015, 828, 830, 832, 1017, 1018, 1012, 829, 831 एवं 1014 कुल किता 12 कुल रकबा 14.11 बीघा

प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के संयुक्त कब्जे काश्त एवं आधीपत्य की है। उक्मत आराजीयात का प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के मध्य आपसी समझौता से बंटवारा हो गया तथा आराजी खसरा नम्बर 831, 829, 1014, 832, 1017 कुल किता रकबा 5.01बंटवारे में प्रतिवादी संख्या 1 को मिली। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आरातजीयात पंजीकृत विक्रय पत्र दिनोंक 22.3.1965 एवं 25.1.73 से वादी को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया तब से वादी विवादित आराजीयात पर काबिज हैं। परन्तु राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। अतः वाद स्वीकार कर डिक्री करावें। प्रतिवादी संख्या 11 ने इकबाली जबाबदावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 2,4,5 की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया गया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर 3 तनकियात कायम की तथा निर्णय दिनांक 6.9.99 से वादी का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने निर्णय दिनांक 23.10.2000 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि का विक्रय प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा किया जाना स्वीकार किया गया है तथा कब्जा वादी को दिया जाना व वादी का ही होना स्वीकार किया गया है जिससे तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाना चाहिये था। वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के पिता कल्याण ने वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध दावा किया गया था उक्त वाद को उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा ने निर्णय दिनांक 30.8.69 सक खरिज कर दिया तथा इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने खारिज कर दी। इस प्रकार विवादित भूमि पर वादी अपीलार्थी का कब्जा काश्त होना माना गया है। प्रस्तुत साक्ष्यों से वादी का वाद साबित है। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में जबाब दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं है। विवादित भूमि का असल विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रति में खसरा नम्बर 831/1, 829, 1014, 832/4 का विक्रय किया जाना विक्रय पत्र में अंकित किया हुआ है। परन्तु उक्त बटा नम्बर किस आधार पर डाले गये स्पष्ट नहीं किया गया है। इससे वादीगण का कब्जा होना भी संदेह पैदा करता हैं। विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की हैं जिससे बिना बंटवारा कराये कोई एक नम्बर विशेष का विक्रय एक सह खातेदार द्वारा नहीं किया जा सकता है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि वादी द्वारा केवल अपील के निर्णय की प्रति के अलावा अन्य कोई दस्तावेज बाबत कब्जा प्रस्तुत नहीं किया है। विक्रय पत्र की भी असल या प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे वादी का वाद खारिज किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने विचारण न्यायालय से सहमत होते हुए अपील खारिज की है।

उक्तानुसार यह स्पष्ट है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं। वादी अपीलार्थी का मुख्य कथन यह रहा है कि उसने प्रतिवादी सख्या 1 हजारी से उसके हिस्से में आई भूमि क्रय की है। इसके विरूद्ध पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे विवादित भूमि का सह काश्तकारों के मध्य विधिवत विभाजन हुआ हो। ऐसी स्थिति में जब तक विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं होजाता तब तक एक सह खातेदार खसरा नम्बर विशेष का बेचान नहीं कर सकता। इसके साथ ही विवादित भूमि पर विक्रय की तिथि से वादी अपीलार्थी का कब्जा काश्त होना भी साबित नहीं कराया गया है। विक्रय पत्र की प्रमाणित अथवा असल प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वाद को साबित नहीं कराया गया है। जिससे हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं एवं यह अपील खारिज करना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर का निर्णय दिनांक 23.10.2000 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष